बिहार स्टेट माइनोरिटीज़ फ़ाइनेन्सियल कारपोरेशन लि०

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

हज भवन, 34, हार्डिंग रोड, पटना, Phone : 0612-2204975 Fax : 0162-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com, Website : www.bsmfc.org)

(CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

माननीय मुख्य मंत्री, बिहार

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र .

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय यथा **मुस्लिम, इसाई, सिंख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय** के व्यक्तियों से विभिन्न योजनाओं एवं व्यवसायों के लिए न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक सुयोग्य व्यक्ति, जो नीचे वर्णित पात्रता रखते हैं, वे निम्नांकित प्रक्षेत्रों के सामने दर्शाये गये व्यवसाय / इकाई / प्रतिष्ठान के लिए दिनांक–30.11.2016 तक अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय अथवा अपने जिला के प्रमण्डलीय मुख्यालय में स्थित निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं ।

आवेदक के लिए पात्रता : 1. आयु 18 से 50 वर्ष के बीच । 2. आवेदक उसी जिला के निवासी हों जहाँ ऋण योजना चलानी हो । 3. आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो । 4. आवेदक की सभी श्रोतों से **पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख (दो लाख) रुपये** से अधिक न हो । 5. मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थान (Monasteries) द्वारा निर्गत धर्म सम्बन्धी प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य है ।

अन्य शर्तें : 1. ऋण की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये होगी । 2. चार पहिये वाहन ऋण के लिए आवेदक को हल्के मोटर ड्राईविंग का लाईसेन्स तथा दवा दुकान के लिए ड्रग लाईसेन्स की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 3. व्यवसाय में अनुभव प्राप्त आवेदकों को उनके द्वारा कोई साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने पर उन्हें ऋण की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी । 4. ऋण राशि पर सूद 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर से सूद देय है । 5. मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में किया जाना है ।

प्रक्षेत्र का नाम एवं आवेदन के लिए व्यवसाय/इकाईयाँ :

1. व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रक्षेत्रः–1. जेनरल स्टोर, टी स्टॉल, ढावा, बकरे का माँस/मुर्गा माँस की दुकान, पान दुकान, सब्जी एवं फल की दुकान, रेडिमेड कपड़ों का दुकान, टायर-टयूब रिपेयर शॉप, जूते की दुकान, मोबाईल रिपेयर शॉप, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, बिजली की सामग्री की दुकान, प्लास्टिक सामान की दुकान, क्रॉकरी की दुकान, फर्नीचर शॉप, अंडा (थोक) की दुकान, ऑटोमोबाईल रिपेयर एवं स्पेयर, जेनरेटर, ब्यूटी पार्लर का दुकान, टेलेरिंग एवं इम्ब्राडरी एवं चाय–नाश्ता की दुकान ।

2. लघु एवं कुटिर उद्योग :– मोमबत्ती बनाना, मोटर रिवाईडिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, चुड़ी–लहठी बनाना, जूट–बैग निर्माण, एपलिक वर्क, सीप उद्योग, बेकरी, गेट–ग्रील निर्माण, आटा–चक्की, मसाला पिसाई एवं तेलघानी ।

3. परिवहन प्रक्षेत्र :– बोलेरो/स्कारपिओ/सूमो, टेम्पो, मिनी वैन/माल वाहक वैन, साईकिल रिक्शा ।

4. अन्य प्रक्षेत्र :– उपरोक्त ईकाईयाँ जो दर्शायी गई है उसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी योजना ।

नोटः–आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट www.bsmfc.org या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट www.minoritywelfare.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं अथवा निगम मुख्यालय/निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय/सभी जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा आवेदन प्रपत्र को टंकित करवा कर उपयोग में लाया जा सकता है ।

(रशीद अहमद)

प्रबंध निदेशक

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि॰, पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड), पटना-800001

के माध्यम से संचालित

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. आधार कार्ड संख्या .... (आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
4. आधार कार्ड लिंक बैंक खाता का विवरण ....
5. वर्तमान पता: ग्राम/मोहल्ला .... पंचायत/वार्ड संख्या .... प्रखण्ड ....
   थाना .... जिला .... पिन कोड .... फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर ....
6. स्थाई पता : ग्राम/मोहल्ला .... पंचायत/वार्ड संख्या .... प्रखण्ड ....
   थाना .... जिला .... पिन कोड ....
7. धर्म ....(मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों के आवेदक धर्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. शैक्षणिक योग्यता .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें) 8. व्यवहारिक योग्यता/अनुभव ....
9. वर्तमान पेशा .... 10. परिवार की सकल वार्षिक आय .... (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. (क) प्रस्तावित योजना का नाम .... (ख) स्थान जहाँ योजना चलाया जाएगा ....
    (ग) योजना
    पर कुल लागत .... (घ) ऋण राशि की आवश्यकता/माँग ....
11. क्या इसके पहले किसी बैंक या एजेन्सी या सहकारी बैंक या इस निगम या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया है, जिसका कोई अंश वापसी के लिए बाकी है । यदि हाँ, तो संस्था एवं बकाया राशि का विवरणी दें : ....

स्थान : ....

तिथि : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट 1: आवेदन के साथ आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

आवेदन प्राप्ति रसीद

आवेदन पत्र की संख्या-.................................

नाम : .... पिता का नाम .... पता ....

.... से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन प्राप्त किया ।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर